संख्याः1320/2019/25-8-2019-17(104)/2018

प्रेषक,

भगवान स्वरूप,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2019

विषयः अर्थ विषयक अपराधों की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 234/25-8-2014-39(11)/70टी0सी0, दिनांक 19 अगस्त, 2014 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 2014 में उल्लिखित अन्य समस्त प्राविधानों को यथावत् रखते हुए एवं उक्त के साथ संलग्न प्रारूप मात्र को अवक्रमित करते हुए यथासंशोधित संलग्न प्रारूप निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया अर्थ विषयक अपराधों की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन को सन्दर्भित/स्थानान्तरित किए जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रारूप पर ही सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दिशा-निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि/यथासंशोधित प्रारूप।

भवदीय,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्याः1320(1)/25-8-2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ई0ओ0डब्लू0 को विवेचना सन्दर्भित करने हेतु निर्धारित प्रारूप

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1.	थाना/जनपद/मण्डल	
2.	मुकदमा अपराध संख्या/वादी का नाम	
3.	दर्ज प्राथिमिकी की धारा	
4.	अभियोग का संक्षिप्त विवरण संगत साक्ष्यों के साथ।	
5.	अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास	
6.	विवेचना की अद्यतन स्थिति (विवेचक का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0)/अन्तर्ग्रस्त अभियुक्तगण एवं उनकी गिरफ्तारी/ जमानत धारा-81, 82, 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही, आरोप-पत्र, अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किए जाने की स्थिति।	
7.	क्या प्रकरण में राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, किसी न्यायालय आदि द्वारा यदि कोई संज्ञान लिया गया है, तो उसका विवरण	
8.	क्या इससे पूर्व विवेचना जनपद/पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस महानिदेशक स्तर से स्थानान्तरित की गयी है? यदि हॉ तो उसका विवरण	
9.	तकनीकी जटिलता का विवरण निम्न बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण प्रमाणित किया जाएः- (क) अपराध की प्रकृति तकनीकी, जटिल और पेचीगदी से भरी हो कि स्थानीय पुलिस के स्तर पर विवेचना किया जाना सम्भव न हो। (ख) अपराध अन्तर्राष्ट्रीय, राज्य या प्रदेशव्यापी या अन्तर-मण्डलीय/ परिक्षेत्रीय हो- (ग) स्थानीय परिस्थितियां ऐसी हो कि जिनके कारण स्थानीय पुलिस द्वारा किसी मामले में निष्पक्ष रूप से जॉच करना मुश्किल हो- (घ) ऐसी परिस्थितियॉ उत्पन्न हो गई हो कि जनसामान्य के दिमाग में किसी मामले की विवेचना को लेकर स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग गया हो	
10.	विवेचना की वर्तमान स्थिति तथा उक्त विवेचना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय का कोई निर्णय/आदेश हो तो उसका विवरण।	
11.	विवेचना को निष्पक्षता से करने हेतु जनपद स्तर पर किए गए प्रयासों का विवरण।	
12.	विवेचना निष्पक्षतापूर्वक या सही या समयान्तर्गत न करने के कारण विवेचक/विवेचकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही	
13.	यदि विवेचना एक से अधिक विवेचकों द्वारा की गई है तो उनके द्वारा विवेचना के स्तरों का संक्षिप्त विवरण।	
14.	आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से विवेचना कराए जाने का औचित्य।	
15.	पुलिस अधीक्षक की स्पष्ट संस्तुति, कारण सहित कि स्थानीय पुलिस किस कारण से विवेचना करने में असमर्थ है।	
16.	आवेदक के प्रार्थना-पत्र के बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या	

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in